राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005

CIN- U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org

Tel- 0141-2227651, 2227514, E-mail- rajseedsaccounts@gmail.com

क्रमांक एफ 4 (   )राजसीड्स / लेखा / 2017--18 /   दिनांक:

....

....

....

विषय :– चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस फर्मस से कराये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संलग्न अनुसार कार्य चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस फर्मस के द्वारा वर्ष 2018–19 में सम्पादित करवाये जाने है।

जिसके लिये अपने प्रस्ताव दिनांक 01.05.2018 तक मुख्यालय पर भिजवायें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(रमेश चन्द मीणा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)

चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस फर्मस से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रस्ताव दिनांक 01.05.2018 तक आमंत्रित किये जाते है।

I आतंरिक अंकेक्षण सम्बन्धी कार्य इकाईयों एवं मुख्यालय का

चार्टर्ड अकाउन्टटेन्टस फर्म के द्वारा निगम की राजस्थान में स्थित विभिन्न इकाईयों एवं जयपुर में स्थित मुख्यालय पर आन्तरिक अंकेक्षण करवाया जाना है। जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(अ) लेखा :-

1. नकद का भौतिक सत्यापन।
2. प्राप्ति एवं वाउचर्स की जाँच रोकड़ बही से एवं उनके साथ संलग्न वाउचर्स इत्यादि।
3. कैश बुक की जाँच एवं दैनिक आधार पर भरी जा रही है।
4. बैंक समाधान विवरण पत्रों की जाँच मासिक आधार पर।
5. क्रय एवं विक्रय का समायोजन उचित तरीके से संधारण की जा रही है।
6. समस्त प्रकार की बकाया की सूचनायें वर्षवार एवं पार्टीवाईज संधारित की जा रही है। साथ ही उनसे वसूली सम्बन्धी कार्यवाही। समस्त प्रकार के वाउचर्स की जाँच उसमें की जाने वाली वैधानिक कटौतियों की जाँच एवं उनका समय पर सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना।

(ब) स्वयं उत्पादन एवं सीधी क्रयः-

निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार एवं मुख्यालय द्वारा जारी क्रय आदेश के अनुसार माल प्राप्त करते समय पालना की जा रही है।

इनसे सम्बन्धित की स्टॉक प्रविष्टी एवं इनका उचित तरीके से संधारण हो रहा है।

(स) विधायन सामग्रीः- मुख्यालय द्वारा जारी आदेश अनुसार विधायन सामग्री का स्टॉक इन्द्राज एवं उपयोग के बारें में जाँच।

(द) विपणनः- माल के बिलस् समय पर बनाये जा रहे है। बिलों की मात्रा एवं स्टॉक रजिस्ट्रर से मात्रा का मिलान। अंडरसाइज बीज एवं फेल बीजों का समय पर नीलामी किया जाना।

(य) स्टॉकः- स्थायी सम्पत्तियों, माल एवं विधायन सामग्री का भौतिक सत्यापन करना। जिनका मिलान वास्तविक एवं लेखा पुस्तकों के अनुसार जाँच।

(र) अन्य कार्यः- वेतन सम्बन्धी क्लेम की जाँच एवं इसमें से काटी गई कटौतियों को समय पर निर्धारित अथॉरिटी के पास जमा करवाया जाना।

रिपोर्ट बिन्दुवार देवें एवं वर्ष में दो बार रिपोर्ट दी जानी है। सितम्बर माह तक की 20 अक्टुबर तक एवं मार्च अन्त की 30 अप्रैल तक।

लेखा मानक के आधार पर समस्त मानकों की पालना की सुनिश्चिता की जांच। वैधानिक अंकेक्षण एवं महालेखाकार अंकेक्षण सम्बन्धी कार्य में सहयोग एवं अंकेक्षण आक्षेपों का जवाब इत्यादि सम्बन्धी कार्य।

तलपट, स्टॉक स्टेटमेंन्ट, विविध देनदारों, विविध लेनदारों एवं स्टॉक अग्रिम सूचियों का सत्यापन।

अंकेक्षण के दौरान आन्तरिक सूचनाओं को गोपनीय रखना।

फीस वार्षिक आधार पर निम्नानुसार है :-

श्री गंगानगर	रु. 15,000/-	जीएसटी अलग से
कोटा	रु. 15,000/-	जीएसटी अलग से
दुर्गापुरा/ढ़िढ़ौल (बरसी)	रु. 12,500/-	जीएसटी अलग से
मुख्यालय	रु. 15,000/-	जीएसटी अलग से
अन्य समस्त इकाईयाँ	रु. 10,000/-	जीएसटी अलग से

इसके अलावा कोई अन्य व्यय देय नही होगा।

II आयकर सम्बन्धी मामलें:-

व्यावसायिक नियमों के तहत् आयकर सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में राय एवं टैक्स योजना को निरीक्षण करना।

आयकर सम्बन्धी मामलों में दैनिक आधार पर राय देना, केस की सुनवाई पर उपस्थित होना, आयकर रिटर्न फाइल करना एवं उसका निर्धारण करवाना एवं उसका अपील प्रभाव को डालना।

टी.डी.एस. सम्बन्धी मामलों में सलाह देना एवं आवश्यकतानुसार आयकर सम्बन्धी मामलों में सलाह देना। वार्षिक आधार पर जिसके लिये रु. 48,000/-+ जी.एस.टी. अलग से भुगतान दिया जावेगा।

अपील कार्य हेतु:- सी.आई.टी./लेवल/ट्रिब्यूनल लेवल (ITAT) के समक्ष अपील करने पर रु. 13,000/- + जी.एस.टी. प्रति अपील की फीस देय होगी।

III टी.डी.एस. रिटर्न:- त्रैमासिक आधार पर टी.डी.एस. रिटर्न एवं वार्षिक आधार पर रिटर्न सम्बन्धी कार्य। जिसके लिये रु. 800/-+जी.एस.टी. अलग से त्रैमासिक आधार पर देय होगा।

IV वार्षिक खातों का निर्माण कम्पनी अधिनियम् 2013 के अनुसार करवाना। जिसके लिये रु. 10,000/- + जी.एस.टी. अलग से देय होगा।

V स्थायी सम्पत्तियों पर ह्रास सम्बन्धी कार्य कम्पनी अधिनियम् 2013 के अनुसार वार्षिक आधार पर सम्पादित करना। जिसके लिये रु. 15,000/- + जी.एस.टी. अलग से देय होगा।

VI जी.एस.टी. सम्बन्धी कार्य एक्ट के अनुसार जी.एस.टी. का लागू होना एवं सलाह देना कम्पनी के अनुसार इनपुट की जाँच एवं इनपुट की रिवर्स लेना। आवश्यकतानुसार समय-समय पर सलाह देना एवं इकाईयों से प्राप्त डेटा को इकजाई करना एवं मासिक आधार पर रिटर्न फाइल करना जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर-2 एवं जी.एस.टी.आर-3 प्रथम त्रैमास के लिये जिसके लिये रु. 15,000/- + जी.एस.टी. अलग से देय होगा।

जी.एस.टी. नोटिस एवं अन्य Show cause Notice/Proceedings जिसके लिये रु. 5,000/- प्रति नोटिस+जी.एस.टी. देय होगा।